# न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद, जिला कोटा

| | | |
|---|---|---|
| ...0 न0 | तारीख दायरा | तारीख फेसला |
| ...8 / 2023 | 05.07.2023 | 09.12.2023 |

भैरूलाल आत्मज मथुरालाल दत्तक पुत्र नन्दलाल जाति मीना निवासी धनसूरी तहसील दीगोद

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा ,88,89 राज0 टीनेन्सी एक्ट बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितः–

वादीगण की ओर से :– श्री रघुवीर सिंह

प्रतिवादीगण की ओर से :– तहसीलदार दीगोद

## –: निर्णय :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 442 की 0.42 है0 भूमि वादी के खाते में दर्ज चली आ रही है नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 संलग्न है। यह कि उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी के काका नन्दलाल जी के खाते दर्ज थी नन्दलाल जी व वादी के पिता मथुरालाल जी दोनो सगे भाई थे। नन्दलाल जी के कोई संतान न होने के कारण नन्दलाल जी वादी के पिता व अपने भाई मथुरालाल जी से वादी को गोद दे लिया था। नन्दलाल जी की मृत्यु के बाद वादी उनका गोद पुत्र होने से उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज की गयी। किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी के दत्तक पिता का नाम नन्दलाल दर्ज किया गया है। यह कि वादी के नेचुरल पिता का नाम मथुरालाल है वादी के आधार कार्ड , पेन कार्ड, बंक पास बुक में भी वादी के पिता का नाम मथुरालाल अंकित है। उक्त के कारण उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भैरूलाल दत्तक पुत्र नन्दलाल के स्थान पर भैरूलाल पुत्र मथुरालाल , दत्तक पुत्र नन्दलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भेरूलाल पुत्र नन्दलाल के स्थान पर भेरूलाल पुत्र मथुरालाल , दत्तक पुत्र नन्दलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिकी पारित की जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तवली विधिवत करवायी गई।

3. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में पटवारी हल्का ग्राम धनसूरी के खाता संख्या 192 खसरा नम्बर 442 / 0.42 है0 में वादी का

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

नाम भेरूलाल दत्तक पुत्र नन्दलाल जाति मीणा दर्ज [illegible] किन्तु वास्तविक [illegible] वादी का नाम भेरूलाल पुत्र मथुरालाल [illegible] पुत्र नन्दलाल जाति मीणा [illegible] भेरूलाल के पिता का नाम मथुरालाल [illegible] नन्दलाल के [illegible] जाने से खाते मे भेरूलाल दत्तक पुत्र नन्दलाल दर्ज हुआ [illegible] नाम भेरूलाल पुत्र मथुरालाल दत्तक पुत्र नन्दलाल जाति मीणा दर्ज किया जाने की अनुतोष की है।

4. वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद जिला कोटा मे खसरा नम्बर 442 की 0.42 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम भेरूलाल पुत्र नन्दलाल अंकित है जो कि गलत है। अतः वादी का नाम भेरूलाल पुत्र नन्दलाल के स्थान पर भेरूलाल पुत्र मथुरालाल, दत्तक पुत्र नन्दलाल उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे।

5. वादनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप मे स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी ग्राम धनसूरी जमाबंदी सम्वत् 2073–76, छायाप्रति बैंक डायरी, छायाप्रति पेन कार्ड, छायाप्रति राशन कार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाण पेश किये गये।

6. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद ने बहस के दौरान स्वयं उपस्थित होकर जवाब दावा में अंकित बिन्दूओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादी नाम राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त करने में किसी प्रकार की आपत्ति नही होना अंकित किया है।

7. प्रकरण मे वादी के पक्ष के अधिवक्ता की बहस तथा प्रस्तुत [illegible] सरकार एवं राजस्व रिकार्ड एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। पेश दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य के आधार पर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम भेरूलाल पुत्र नन्दलाल के स्थान पर भेरूलाल पुत्र मथुरालाल, दत्तक पुत्र नन्दलाल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद जिला कोटा मे खसरा नम्बर 442 की 0.42 है0 भूमि मे वादी का नाम भेरूलाल पुत्र नन्दलाल के स्थान पर भेरूलाल पुत्र मथुरालाल दत्तक पुत्र नन्दलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार एवं नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद मे भरे आम मे सुनाया गया।

[illegible] [illegible] [illegible]